

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.सो.) सं.प.अ. / 207 /2024

दिनांक 28.08.2024

डॉ. नीरू सोनी (RJ01097), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, कामां (भरतपुर) को दिनांक 17.09.2024 से 27.09.2024 तक 11 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 13.09.2024 से 16.09.2024 एवं 28.09.2024 से 29.09.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

डॉ. सोनी की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कामां (भरतपुर) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, कामां (भरतपुर) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से,
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2 (4)/85/2016/ 6746

दिनांक 28.08.2024

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 3622 दिनांक 14.08.2024 के सन्दर्भ में।
3. डॉ. नीरू सोनी (RJ01097), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, कामां (भरतपुर)।
4. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, कामां (भरतपुर)।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कामां (भरतपुर)।

28/8/2024
सहायक रजिस्ट्रार